



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16012026-269388  
CG-DL-E-16012026-269388

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 197]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 15, 2026/पौष 25, 1947

No. 197]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 15, 2026/PAUSHA 25, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय  
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2026

**सां.आ.219. (अ).—**भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और खाद्य और पेय पदार्थों के लिए कुकवेयर, बर्तन और डिब्बे (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश 2025 के अधिक्रमण में, जहां तक यह पेय पदार्थों के लिए गढ़े एल्यूमीनियम के बर्तन और एल्यूमीनियम के डिब्बों से संबंधित है, सिवाय ऐसे कार्यों के, जो अधिक्रमण से पहले किए गए अथवा जिन्हें किए जाने से छोड़ दिया गया, केंद्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अतः एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः-

**1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ -** (1) इस आदेश को खाद्य और पेय पदार्थों के लिए कुकवेयर, बर्तन और डिब्बे (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2026 कहा जाएगा।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

**2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग -** तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट संबंधित भारतीय मानक के अनुरूप होंगी तथा उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा:

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा:

बशर्ते यह भी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के तहत परिभाषित सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम क्रमशः तालिका के कॉलम (6) और (7) के अंतर्गत संगत प्रविष्टि में निर्दिष्ट तिथि से ऐसे भारतीय मानकों का अनुपालन करेंगे:

बशर्ते यह भी कि इस आदेश में कुछ भी ब्यूरो द्वारा प्रमाणित विनिर्माता या ऐसे विनिर्माता द्वारा, जिसने प्रमाणन के लिए ब्यूरो या आयातक द्वारा संबंधित वस्तुओं और सामानों के लिए आवेदन किया है, इस आदेश की तालिका में विनिर्दिष्ट कार्यान्वयन की तारीख से पहले घरेलू रूप से विनिर्मित या आयातित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा, और ऐसे निर्माता या आयातक को तालिका के कॉलम (5), (6) और (7) में विनिर्दिष्ट कार्यान्वयन की तारीख से छह महीने तक ऐसे घोषित स्टॉक की बिक्री करने या प्रदर्शित करने या बिक्री का प्रस्ताव करने की अनुमति दी जाएगी, इस शर्त के अधीन कि ऐसे विनिर्माता या आयातक, ब्यूरो के समक्ष चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित इस आशय की घोषणा करेंगे:

बशर्ते यह भी कि इस आदेश में कुछ भी भारत में आयात किए जाने पर किसी भी रूप में ठोस, तरल या गैस के रूप में सामग्री से भरी वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा:

बशर्ते यह भी कि इस आदेश में कुछ भी इस शर्त के साथ प्रति वर्ष खाद्य और पेय पदार्थों के लिए कुकवेयर, बर्तन और डिब्बों के विनिर्माताओं द्वारा अनुसंधान और विकास के प्रयोजनार्थ आयातित दो सौ वस्तुओं या सामानों पर लागू नहीं होगा, और ऐसी आयातित वस्तुओं या सामानों की वाणिज्यिक बिक्री नहीं की जाएगी तथा उन्हें स्कैप के रूप में निपटाया जा सकता है, और विनिर्माता ऐसी वस्तुओं या सामानों का वर्षवार रिकार्ड रखेंगे और यदि उसे केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करेंगे।

#### तालिका

क्रम सं.	वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक	सामान्यतः कार्यान्वयन की तारीख (सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को छोड़कर)	लघु उद्यमों के लिए कार्यान्वयन की तारीख	सूक्ष्म उद्यमों के लिए कार्यान्वयन की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	खाद्य और पेय पदार्थों के लिए कुकवेयर, बर्तन और डिब्बे	1660:2024	गढ़े एल्यूमीनियम के बर्तन	1 अक्तूबर, 2026	1 जनवरी, 2027	1 अप्रैल, 2027
2.		14407:2023	पेय पदार्थों के लिए एल्यूमीनियम के डिब्बे			

# नोट- इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, लागू होंगे।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण – उक्त ब्यूरो, तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन एवं प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

[फा-पी .सं .29026/14/2023-एलईआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
(Department of Promotion of Industry and Internal Trade)

**ORDER**

New Delhi, the 15th January, 2026

**S.O. 219 (E).**—In exercise of the powers conferred by section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) and in supersession of the Cookware, Utensils and Cans for Foods and Beverages (Quality Control) Order 2025, in so far as it relates to Wrought Aluminium Utensils and Aluminium Cans for Beverages, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, after consulting the Bureau hereby makes the following order, namely:-

**1. Short title and commencement.** – (1) This Order may be called the Cookware, Utensils and Cans for Foods and Beverages (Quality Control) Order, 2026.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

**2. Compulsory use of Standard Mark.** - Goods or articles specified in column (2) shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (3), of the Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau as per Scheme-1 of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export:

Provided further that the micro enterprise and small enterprise, as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) shall conform to such Indian Standards from the date specified in the corresponding entry under columns (6) and (7) of the Table respectively:

Provided also that nothing in this order shall apply to goods or articles domestically manufactured or imported before the date of implementation specified in the Table of this order by the manufacturer certified by the Bureau or manufacturer who has applied to the Bureau for certification or by the importer for the relevant goods and articles and such manufacturer or importer shall be permitted to sell or display or offer to sell such declared stock up to six months from the date of implementation specified in columns (5), (6) and (7) of the Table, subject to the condition that such manufacturer or importer shall make a declaration to this effect certified by a Chartered Accountant to the Bureau:

Provided also that nothing in this order shall apply to goods or articles filled with material in any form solid, liquid or gas, when imported into India:

Provided also that nothing in this order shall apply for two hundred number of goods or articles imported for the purpose of research and development by manufacturers of cookware, utensils and cans for food and beverages per year with the condition that such imported goods and articles shall not be sold commercially and shall be disposed of as a scrap and the manufacturer shall maintain a year-wise record of such goods and articles and furnish to the Central Government.

**TABLE**

Sl. No.	Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard	Date of implementation in general (other than micro and small enterprises)	Date of implementation for small enterprises	Date of implementation for micro enterprises
---------	-------------------	-----------------	--------------------------	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Cookware, utensils and cans for food and beverages	1660:2024	Wrought Aluminium Utensils	1 <sup>st</sup> October, 2026	1 <sup>st</sup> January, 2027	1 <sup>st</sup> April, 2027
2.		14407:2023	Aluminium cans for beverages			

#Note. - For the purposes of this table, the latest version of the Indian Standard including the amendments thereof, as notified by the Bureau from time to time shall apply from the date of such notification.

**3. Certification and enforcement authority.** - The Bureau shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in column (2) of the Table.

[F. No. P-29026/14/2023-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.